संख्या– 777/III(1)/20–04(54)रि0या0/15

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई विभाग, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग–1
देहरादून, दिनांक 10 जून, 2020

विषय : लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मलित करते हुये पेन्शन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–4371/2011 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत हैः–

"In view of reading down Rule 3 (8) of the U.P. Retirement Benefits Rules, 1961, we hold that services rendered in the work-charged establishment shall be treated as qualifying service under the aforesaid rule for grant of pension. The arrears of pension shall be confined to three years only before the date of the order. Let the admissible benefits be paid accordingly within three months. Resultantly, the appeals filed by the employees are allowed and filed by the State are dismissed".

2– उक्त आदेश के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के द्वारा दोनों विभागों में कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मिलित करते हुए पेन्शन आदि का लाभ उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं समय समय पर जारी संगत शासनादेशों/नियमों के प्राविधानानुसार अनुमन्य किये के निर्देश जारी किये गये है तथा दोनों विभागों की संकलित सूचना के आधार पर मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य के द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेन्शन का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में होने वाले अद्यतन स्थिति रखे जाने एवं मा0 उच्चतम न्यायालय से अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने हेतु सिविल अपील संख्या–6883/2019 उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम रमेश सिंह दाखिल करते हुये अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

3– मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में 2768 कार्मिक सेवानिवृत्त हुये हैं। इन सेवानिवृत्त कार्मिकों में से दिनांक 01.04.2020 से 01.07.2020 तक 480 कार्मिकों को पेन्शन प्रदान कर दी जायेगी। दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 01.10.2020 के मध्य 788 कार्मिकों को तथा दिनांक 01.10.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक 1500 कार्मिकों को बजट प्राविधान के सापेक्ष एवं जैसे–जैसे कार्मिकों के सेवा अभिलेख उपलब्ध होंगे, पेन्शन स्वीकृत कर ली जायेगी। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के उक्त प्रतिशपथ–पत्र के आधार पर सिविल अपील का निस्तारण उक्त समय–सीमा के भीतर किये जाने के निर्देश निम्नानुसार पारित किये गये हैं:–

"In view of the large number of persons involved and verification required as set out in the application, in the peculiar facts of the case, we are inclined to give time for compliance as per schedule given in Annexure P-4.

The application accordingly stands diposed of."

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(क) लोक निर्माण विभाग एवं सिचाई विभाग में सेवानिवृत्त हुये कार्मिक/उनके विधिक वारिसानों को अवगत कराये जाने हेतु समाचार–पत्रों में इस आशय की विज्ञप्ति विभागाध्यक्ष के माध्यम से पुनः तत्काल जारी की जाय कि जो कार्मिक वर्कचार्ज में रहे हैं वे अपने अभिलेखों के साथ सम्बन्धित खण्ड जहां से वे सेवानिवृत्त हुये हैं अथवा कार्यरत हैं को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। तदोपरान्त सम्बन्धित खण्ड का यह दायित्व होगा कि वह प्राप्त अभिलेखों/आवेदनों का सत्यापन करते हुये तत्काल इस सम्बन्ध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा का लाभ पेन्शन में अनुमन्य किये जाने हेतु कार्यवाही करेंगे।

(ख) लोक निर्माण विभाग एवं सिचाई विभाग के विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह खण्ड स्तर पर सूचनाओं को संकलित करते हुये प्रत्येक सोमवार को अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेन्शन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की सूचनाओं की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ग) शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी आये हैं कि ऐसे सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारी जो जिस खण्ड से सेवानिवृत्त हुये हैं उससे पूर्व खण्डों में की गयी सेवाओं का विवरण पूर्ववर्ती खण्डों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ऐसे खण्डों को प्राप्त होने वाले आवेदनों पर सम्बन्धित खण्ड के द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती खण्डों को जहां कर्मचारी पूर्व से सेवारत रहा है तत्काल अपने स्तर से पत्र–व्यवहार करते हुये उसकी सूचना प्राप्त करते हुये पेन्शन आदि के प्रपत्र तैयार करेगा। यदि पूर्ववर्ती खण्डों के द्वारा अभिलेख/सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो ऐसे खण्डों के अधिकारियों को चिन्हित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर वर्कचार्ज कर्मचारियों के पेन्शन प्रपत्र एवं पुनरीक्षित पेन्शन स्वीकृत किये जाने की युद्ध स्तर पर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। यदि निर्धारित तिथि के भीतर आपके द्वारा कार्यवाही सम्पादित नहीं की जाती है तो इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

कृपया प्रकरण पर शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुये आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– ——— /III(1)/20–04(54)रि0या0/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाये, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एक समय–सीमा के भीतर वर्कचार्ज की सेवा का लाभ पेन्शन में अनुमन्य किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः जैसे–जैसे विभागीय स्तर पर वर्कचार्ज कार्मिकों के पेन्शन का प्रकरण निदेशालय/कोषागार में उपलब्ध होता है उनका युद्ध स्तर पर अपेक्षित निराकरण करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर की गयी कार्यवाही की सूचना समय–समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जानी हैं। अतः इस प्रकार के प्रकरण पर आप भी अपने स्तर से समस्त कोषाधिकारियों को अपेक्षित आदेश पारित करने का कष्ट करेंगे।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

([illegible])
पृष्ठांकन पत्र संख्या 278/23 [illegible] /20 दिनांक 11-6-2020
प्रतिलिपि [illegible] –
(1) समस्त मुख्य अभियन्ता।
(2) समस्त अधीक्षण अभियन्ता।
(3) समस्त अधिशासी अभियन्ता।
(4) I.T Head [illegible] web site पर upload करें।
10/06/20

([illegible] भण्डारी)
[illegible] ऑफिसर (अधिष्ठान–1)